भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *261
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

पटना उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

***261. श्री गिरिधारी यादव :**

श्री राजेश रंजन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना उच्च न्यायालय की कोई न्यायपीठ बिहार के भागलपुर जिले में कार्यरत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का पटना पहुंचने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने में मुकदमेबाजों को होने बाली असुविधा और बिहार में बड़ी संख्या में मामले लंबित होने के दृष्टिगत, कोसी-सीमांचल क्षेत्र के भागलपुर और पूर्णिया में पटना उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की समयावधि क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"पटना उच्च न्यायालय की न्यायपीठ" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*261 जिसका उत्तर तारीख 09.08.2024 को दिया जाना है के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) : जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : उच्च न्यायालय की न्यायपीठें जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति की, जिससे उच्च न्यायालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, सहमति के साथ-साथ आवश्यक व्यय तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमति देने वाली राज्य सरकार से प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक् विचार कर लिए जाने के पश्चात् स्थापित की जाती हैं। प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए।

वर्तमान में, भागलपुर और पूर्णिया में पटना उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है।

****